राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4950/2022

अनिता साहू **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.09.2022
आदेश की दिनांक : 09.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– एम. एस. काला, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में एन.टी.टी. अध्यापक के पद पर आंगनवाडी राडा, राजगढ़, अलवर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 19.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से गोगारा, कोटडी, भीलवाडा किया गया है। आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 राजस्थान पंचायती राज (स्थानान्तरण क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के विपरीत जारी किया गया है। पूर्व में भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया था, जो अधिकरण द्वारा अंतरिम आदेश जारी करते हुए आदेश को अपास्त किया गया था और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण दिनांक 12.08.2022 को निरस्त कर दिया गया था। परंतु एक माह की अल्पावधि में ही पुनः आलोच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर दिया गया, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 19.09.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन एन.टी.टी. अध्यापक के पद पर आंगनवाडी राडा, राजगढ़, अलवर में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

जहां तक आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 नियम 8(iii) के विपरीत जारी किए जाने का प्रश्न है। हमारे विनम्र मत में आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर स्थानान्तरण आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है और ना ही इसमें यह स्पष्ट हो पा रहा है कि कार्मिकों के स्थानान्तरण किस सक्षम अधिकारी द्वारा किए गए हैं, जिससे यह भी स्पष्ट हो सके कि उक्त आलोच्य आदेश सक्षम स्तर पर अनुमोदित है या नहीं। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में हम कोई बल होना नहीं पाते हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(एम. एस. काला)
सदस्य